रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-446/2025/1841/22-2-2023-17(467)/2017

लखनऊ: दिनांक: 09 मई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महादेव (बन्दी सं0-46642) पुत्र श्री रामपाल, जो ग्राम-वृन्दावन, एच0ओ0-लक्ष्मणपुर ग्रण्ट, थाना-कोतवाली बीकापुर, जनपद-अयोध्या, मूल पता-जगराज मिश्र का पुरवा एच0ओ0-रामनगर, थाना-कूड़ेभार, जनपद-सुलतानपुर का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-38/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-9, फैजाबाद के आदेश दिनांक 22.08.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है, बन्दी द्वारा दिनांक 21.01.2023 तक 21 वर्ष, 03 माह, 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 07 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-446/2025/1841(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर/अयोध्या।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर/अयोध्या।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।